


29/6/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि ग्रामदान द्वारा शासित है। अतः राजस्व न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के आदेश दिये जाने न्यायोचित नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी खारिज किये जाने योग्य है।


  
(विजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

### आदेश

प्रा० पत्र० 247/2021

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
(विजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)